न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 115/2026 | दायर दिनांक 25.05.2026 | आदेश दिनांक 22/5.2026

उनवान

1. रमेश कुमावत पिता श्री कन्हैयालाल कुमावत निवासी कुमावतों का मोहल्ला, कारोई कलां, भीलवाड़ा।

— प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार भीलवाड़ा, कलेक्ट्री परिसर, भीलवाड़ा।

— विपक्षी

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–

1. **प्रार्थी स्वयं उपस्थित।**
2. **विपक्षी संख्या 03 की ओर से पैराकार सरकार।**

–:: आदेश ::–

आदेश दिनांक22/5/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रमेश कुमावत ने केम्प में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कारोई कलां पटवार हल्का कारोई कलां भ–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोई कलां तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 329/2 रकबा 0.3667 हैक्टेयर तथा आराजी संख्या 330/2 रकबा 0.7461 हैक्टेयर भूमि स्थित है। राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी में प्रार्थी का नाम रामेश्वरलाल पिता काना कुमावत निवासीयान कारोई कलां अंकित हैं। प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड में रमेश कुमावत पिता कन्हैयालाल कुमावत हैं दोनों नाम प्रार्थी के हैं।

अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के स्वामित्व, हक, अधिकार कब्जे व आधिपत्य की कृषि आराजियात आराजी संख्या 329/2 रकबा 0.3667 हैक्टेयर तथा आराजी संख्या 330/2 रकबा 0.7461 हैक्टेयर ग्राम कारोई कलां पटवार हल्का कारोई कलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित हैं, के राजस्व रेकार्ड में / जमाबन्दी, में खातेदार रामेश्वरलाल के बजाय रमेश कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत नाम का संशोधन करने बाबत् आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2026 को पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा रिपोर्ट अनुसार वक्त विरासत नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का गांव के मौतबिरानों ने प्रार्थी के बोलते नाम रामेश्वरलाल पुत्र श्री काना कुमावत नाम बताया जिससे वक्त विरासत नामान्तकरण में रामेश्वरलाल पुत्र श्री काना कुमावत दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी द्वारा दिये गये पहचान सम्बन्धित दस्तावेजों में नाम रमेश कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी का जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थी का नाम रामेश्वरलाल पुत्र काना कुमावत के बजाय रमेश कुमावत पिता कन्हैयालाल कुमावत संशोधित किये जाने की अनुशंषा की जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा ग्राम कारोईकलां की जमाबंदी सम्वत् 2061–2064 के खाता संख्या 07 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त आराजियात प्रार्थी को अपने पिता से जरिये नामांतरण संख्या 2112 से विरासतन प्राप्त हुई है।

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

पत्रावली पर दस्तावेज का भलिभांति परीक्षण किया गया।तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम **रामेश्वरलाल पिता काना कुमावत के बजाय रामेश्वरलाल उर्फ रमेश पिता कन्हैयालाल कुमावत संशोधित** किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना. पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव

—:आदेश :—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कि ग्राम कारोई कलां पटवार हल्का कारोई कलां भ—ूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोई कलां तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 329/2 रकबा 0.3667 हैक्टेयर तथा आराजी संख्या 330/2 रकबा 0.7461 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के नाम **रामेश्वरलाल पिता काना कुमावत के बजाय रामेश्वरलाल उर्फ रमेश पिता कन्हैयालाल कुमावत** इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....22/5/2026 को सर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

22/5/26

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा